भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3780

जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

एचएमटी के लिए वेतन संशोधन

3780. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट समिति द्वारा एचएमटी मशेन टूल्स लिमिटेड को दिए परामर्श के अनुसार 1997 के वेतन संशोधन के क्रियान्वयन के लिए बजट सहायता, कार्य पूंजी और अतिरिक्त व्यय हेतु निधियां जारी की हैं;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): कार्यशील पूंजी के लिए स्वीकृत ₹75 करोड़ में से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को 23.09.2014 को ₹25 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है और शेष ₹50 करोड़ के लिए पूरक अनुदान मांग 2014-15 में प्रावधान किया गया है।

पूरक अनुदान मांग, 2014-15 में 1997 के वेतन संशोधन के क्रियान्वयन से पड़ने वाले अतिरिक्त भार के लिए ₹29.34 करोड़ की राशि (₹61.04 करोड़ की स्वीकृत राशि में से) का भी प्रावधान किया गया है।

(ग): विलंब का कारण राशि की अनुपलब्धता है।

******